क्रमांक 18/2/88–2 जी.एस.–II

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

(1) सभी विभागाध्यक्ष,

(2) आयुक्त हिसार/अम्बाला मण्डल,

(3) सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी, हरियाणा, तथा

(4) रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ तथा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरि

दिनांक, चण्डीगढ़, 20 अप्रैल, 1988 ।

विषय : सरकारी कर्मचारियों द्वारा चल, अचल और मूल्यवान सम्पत्ति की विवरणी प्रस्तुत करने के बारे में ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियमावली, 1966 के नियम 18 की ओ जिसमें यह व्यवस्था है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी किसी सेवा या पद पर प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बा द्वारा निर्दिष्ट अन्तरालों पर अपनी देनदारियों और लेनदारियों की एक विवरणी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फार्म राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 5733–जी0 एस0 I–77/40529, दिनांक 29–12–1977 द्वारा यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी स्वयं वित्तीय वर्ष के अन्त में ऐसी विवरणी अपने नियुक्ति प्राधिकारी को देगा।

2. सरकार द्वारा यह देखने में आया है कि उक्त हिदायतों का दृढ़ता से पालन नहीं किया जा रहा तथा क केसों में कर्मचारियों ने कई वर्षों की विवरणियां अपने नियुक्ति प्राधिकारियों को प्रदान नहीं की हैं। सरकार ने इसे गम्भीर लिया है। अतः आपसे अनुरोध है कि इन हिदायतों को अपने अधीन कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के नोटिस हुए उनकी चल, अचल तथा मूल्यवान सम्पत्ति का ब्योरा देने वाली विवरणियां शीघ्र पूर्ण करवायें तथा यह भी सुनिश्चित भविष्य में भी यह विवरणियां प्रत्येक वर्ष समय पर प्रस्तुत की जायें।

भवदीय,

हस्ता/–

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रश

कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सर

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :—

1. सभी वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार तथा
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

हस्ता/–

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशा

कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरक

सेवा में

(1) सभी वित्तायुक्त हरियाणा, तथा

(2) [illegible]